हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/2/25 को पेश हो।	
19/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/4/25 को पेश हो।	
25/4/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 09.05.2025 को पेश हो।	
09/05/2025 GCMS-2023/108	
वास्ते आदेश पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।	
पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''शीशराम पुत्र नागरमल'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''शीशराम पुत्र नागरमल '' की जगह ''जगदीश राम जाट पुत्र नागरमल'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:42:32 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व जो तामी
	आदेश तन ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 4835, 4836 कुल किता 02 कुल रकबा 2.53 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम ''शीशराम पुत्र नागरमल '' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''सहरीश राम जाट पुत्र नागरमल'' दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री मूर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Yadav Date: 2025.06.19 10:42:32 Reason: SelfAttested	

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. सहरीश राम जाट पुत्र नागरमल जाति जाट निवासी ढाणी सामली तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 65 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील** नीमकाथाना **जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 4835, 4836 कुल किता 02 कुल रकबा 2.53 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम "शीशराम पुत्र** नागरमल **" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "सहरीश राम जाट पुत्र नागरमल" दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं।** उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 09 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:42:32 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।